

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न सं. *4

मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2018 / 20 अग्रहायण, 1940 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

महिला पर्यटकों की सुरक्षा

*4. **डा. विकास महात्मे:**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विगत तीन वर्षों में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए महिला पर्यटकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि प्रतिवर्ष आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट को रोका जा सके; और
- (ख) प्रशिक्षित और पंजीकृत महिला टूरिस्ट गाइडों की संख्या में वृद्धि के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री के.जे. अल्फांस)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

महिला पर्यटकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में दिनांक 11.12.2018 के राज्य सभा मौखिक प्रश्न सं.*4 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

(क): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पब्लिक आर्डर' और 'पुलिस' राज्य का विषय हैं। इस प्रकार, घरेलू एवं विदेशी दोनों पर्यटकों सहित पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है। नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार विदेशी पर्यटक आगमन में 14% की वृद्धि हुई है।

क्र.सं.	मानदंड	2015	2016	2017
1.	भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (मिलियन)	8.03 (4.6%)	8.80 (9.6%)	10.04 (14.0%)

पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों सहित पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- (i) पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन हेतु आचारसंहिता' को अपनाया है जो पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की मर्यादा, सुरक्षा एवं शोषण से मुक्ति जैसे मूल अधिकारों के लिए सम्मान की भावना के साथ पर्यटन कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित दिशा-निर्देश हैं।
- (ii) पर्यटन मंत्रालय द्वारा परंपरागत भारतीय मूल्यों और 'अतिथि देवो भव' की अवधारणा के संबंध में हितधारकों और आम जनता को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से टेलिविज़न पर सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में दो कर्मशियल हैं; एक पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध संवेदनशीलता पैदा करने के संबंध में और दूसरा पर्यटक स्थलों तथा सड़कों की साफ-सफाई के बारे में है।
- (iii) हितधारकों ने 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन हेतु आचार संहिता' के कार्यान्वयन हेतु अपने-अपने संगठनों में फोकल बिंदुओं की पहचान की है।
- (iv) पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों को यात्रा के दौरान भारत में यात्रा से संबंधित सूचना के लिए सहायता सेवा प्रदान करने तथा भारत में संकट के समय भी पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए फरवरी, 2016 में हिंदी और अंग्रेजी तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं में टोल फ्री नंबर 1800-111363 अथवा लघु कोड 1363 पर 24X7 टोल फ्री बहु-भाषायी पर्यटक इंफो हेल्प लाइन आरंभ की है।

- (v) पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों को एक सुखद अनुभव सुनिश्चित करने के लिए निकट सहयोग प्रोत्साहित करने तथा सर्वोत्तम पद्धतियों की पहचान करने में सहायता देने तथा सुरक्षा तथा जोखिम प्रबंधन के महत्व पर बल देने के लिए सितम्बर, 2014 में “टिप्स फॉर ट्रैवलर्स” तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पर्यटकों की सुरक्षा तथा संरक्षा पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा-निर्देश एक सांकेतिक संदर्भ हैं जो सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने अथवा अपनाने में और पर्यटकों को बेहतर सुरक्षा हेतु अपने घरेलू उपाय तैयार करने में राज्यों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।
- (vi) पर्यटकों की सुरक्षा राज्य सरकार का विषय है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।
- (vii) पर्यटन मंत्रालय सुरक्षित तथा सम्मानजनक पर्यटन सहित देश में पर्यटन के विकास तथा संवर्धन के लिए नीतियां बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विभिन्न पर्यटन से संबंधित संस्थानों तथा स्टेक होल्डरों के साथ लगातार सम्पर्क रखता है।
- (viii) पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर एडवाइज़री जारी करता है।

(छ) : पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में “अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता” प्रमाणन पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य एक केन्द्रीयकृत पैन इंडिया गाइड ई-लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से दूर सुविधा प्रदाताओं हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं प्रत्यायन प्रदान करना है। इससे सुप्रशिक्षित तथा व्यावसायिक दूर सुविधा प्रदाताओं का एक समूह तैयार करने में सहायता मिलेगी।
